प्रेस नोट

दिनांक 11.03.2025

पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र व पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा आगामी त्योहारों के दृष्टिगत रिज़र्व पुलिस लाइन ग्राउंड में पुलिसकर्मियों को बलवाइयों/अराजकतत्वों से निपटने के लिए कराया 'एंटी रायट ड्रिल' व दंगा नियंत्रण उपकरणों का अभ्यास -

आज दिनांक 11.03.2025 को पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र श्री अमित पाठक व पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री विनीत जायसवाल द्वारा आगामी त्योहारों होलिका दहन, रंगोत्सव/होली व रमाजान माह के दृष्टिगत रिज़र्व पुलिस लाइन ग्राउंड गोण्डा में पुलिसकर्मियों को बलवाइयों/अराजकतत्वों से निपटने के लिए 'एंटी रायट ड्रिल' व दंगा नियंत्रण उपकरणों के बारे में जानकारी दी गई। तत्पश्चात् समस्त पुलिस कर्मियों को अराजक तत्वों/उपद्रवियों से निपटने के लिए अश्रु गैस, स्टन ग्रेनेड, रबड बुलेट, मिर्ची बम, एण्टीराइट गन आदि चलवाकर बलवा ड्रिल का अभ्यास करवाया गया तथा दंगा नियंत्रण उपकरणों के बारे में जानकारी देते हुए बलवा ड्रिल का डिमॉस्ट्रेशन कराया गया । शस्त्र प्रयोग के समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी अवगत कराया गया तथा दंगा नियत्रंण हेतु अमल में लाये जाने वाले सभी विधिक प्रावधानों एवं टैक्टिक्स का क्रमवार अभ्यास कराया गया।

अभ्यास के दौरान महोदय द्वारा विभिन्न शस्त्रों एवं दंगा नियंत्रण उपकरणों के संचालन का परीक्षण किया गया तदोपरान्त फोर्स को ब्रीफ करते हुए बताया कि ड्यूटी के दौरान सदैव मानसिक एवं शारीरिक रूप से तत्पर रहें एवं दंगा नियंत्रण के समस्त उपकरण सक्रिय दशा में सदैव अपने साथ रखे जिससे कि किसी भी आकस्मिक परिस्थिति से निपटा जा सके। भीड़ के आकस्मिक एकत्रित होने अथवा किसी घटना विशेष के होने से उत्पन्न हुए रोष से लोगों के अवैधानिक रूप से एकत्रित होने तथा बलवा करने से उत्पन्न हुई स्थिति को नियन्त्रित करने तथा बलवाईयों को तितर-बितर करने के लिए एन्टी रायट ड्रिल का प्रयोग करे, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनी रहे। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी ड्यूटी के दौरान दंगा निरोधी उपकरणों से लैस होकर रहेगें ताकि यदि कोई असामाजिक तत्व सौहार्द एवं शान्ति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करता है तो पुलिस की तैयारी के मद्देनजर उसका प्रयास विफल हो और स्थिति सामान्य रहे।

अभ्यास के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेसायम राय, समस्त क्षेत्राधिकारी व पुलिस के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।